व्यक्तिगत ध्यानार्थ
अति आवश्यक

संख्याःएस0एम0एस0–46/2009–10–आर0डी0डी0–लूज
ग्रामीण विकास विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषक

विशेष सचिव (ग्रा0 वि0),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित

1. समस्त परियोजना अधिकारी(सिवाय जन–जातीय क्षेत्र)
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
हिमाचल प्रदेश।

2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी(सिवाय जन–जातीय क्षेत्र)
हिमाचल प्रदेश।

दिनाँकः शिमला–9 6 अप्रैल, 2010

विषयः **सांस्कृतिक दलों (Folk Media) के माध्यम से जन–कलयाणकारी योजनाओं का पंचायत स्तर पर प्रचार–प्रसार।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अर्ध–शासकीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 30 मार्च, 2010 के द्वारा जैसाकि अवगत करवाया जा चुका है कि विभाग द्वारा प्रथम अप्रैल, 2010 से ग्रामीण विकास की जन–कल्याणकारी योजनाओं के प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु राज्य स्तरीय अभियान प्रारम्भ किया गया है। इस अभियान के अन्तर्गत सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के सहयोग से सांस्कृतिक दलों (Folk Media) के माध्यम से समस्त ग्राम पंचायतों में इन जन–कल्याणकारी योजनाओं के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए मनोरंजन सहित योजनाओं की जानकारी हेतु अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। उक्त दल एक दिन में दो–दो पंचायतों में अपनी प्रस्तुति देंगे।

इसलिए उपरोक्त अभियान को सफल बनाने हेतु आपसे अनुरोध किया जाता है कि कृपया अपने–अपने जिलों के जिला लोक सम्पर्क अधिकारियों से सम्पर्क कर उन्हें यथासम्भव अपना सहयोग देना सुनिश्चित करें। इस कार्यक्रम हेतु कार्य–योजना निम्न प्रकार से है–

प्रपत्र–1

राज्य/जिला/खण्ड/पंचायत स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी/कर्मचारी		जॉब–चार्ट
1	2.	3.
निदेशालय, ग्रामीण विकास विभाग, शिमला।	सहायक निदेशक(मनरेगा) नाम– श्रीमति सी. ए. वर्मा सम्पर्क न0–01772629105 मो.न.–9418470382	1. पर्यवेक्षण (Monitoring)। 2. सहयोग एवं सुविधा हेतु प्रबन्धन। 3. दैनिक–आधार पर प्रतिपुष्टि (Feed Back) संकलित करना।
जिला ग्रामीण	सहायक परियोजना	1. समस्त विकास खण्डों हेतु सांस्कृतिक दलों

विकास अभिकरण	अधिकारी(महिला कार्यक्रम) **नाम–.....................** **सम्पर्क न0–.................**	के लिए रूपरेखा तैयार करना। 2. जिले में सांस्कृतिक दलों के लिए उचित सहयोग एवं सुविधा हेतु प्रबन्धन हेतु जिला लोक सम्पर्क अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क करना। 3. दैनिक–आधार पर समस्त विकास खण्डों से गत दिवस में प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रतिपुष्टि (Feed Back) **प्रपत्र–2** में संकलित कर निदेशालय, ग्रामीण विकास विभाग को ई–मेल के माध्यम से सायं 3:00 बजे तक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
खण्ड विकास कार्यालय	एल.एस.ई.ओ. अथवा एस.ई.बी.पी.ओ. **नाम–.........................** **सम्पर्क न0–.................**	1. समस्त ग्राम पंचायतों हेतु सांस्कृतिक दलों के लिए रूपरेखा तैयार करना, जैसाकि कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए नज़दीकी ग्राम पंचायतों का चयन तथा इन दलों को कार्यक्रम स्थल तक पहुँचानें, ठहराने तथा खाने इत्यादि का प्रबन्धन। 2. दैनिक–आधार पर ग्राम पंचायतों में गत दिवस में प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रतिपुष्टि (Feed Back) **प्रपत्र–2** में संकलित कर ग्रामीण विकास अभिकरण को ई–मेल के माध्यम से प्रातः 11:30 बजे तक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
ग्राम पंचायत	पंचायत सचिव/सहायक **नाम–.........................** सम्पर्क न0–.............	1. ग्राम पंचायत चौकीदार के माध्यम से समस्त वार्डो में उक्त कार्यक्रम के आयोजन बारे प्रत्येक घर तक इसकी सूचना देना तथा अधिक से अधिक संख्या में जन–समूहों को एकत्रित करना सुनिश्चित करना। 2. उक्त सांस्कृतिक दलों को कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सामुदायिक स्थलों पर मंच, आवाजाही, ठहराना एवं खाने इत्यादि का ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के सहयोग से प्रबन्धन करना। 3. प्रत्येक पंचायत से कार्यक्रम पश्चात् सम्बन्धी एकत्रित जन–समूह से प्रतिपुष्टि (Feed Back) **प्रपत्र–2** में प्राप्त कर इसकी रिपोर्ट अगले दिन प्रातः 10:30 बजे तक खण्ड विकास कार्यालय में प्रस्तुत करना।

नोट- कृपया उपरोक्त प्रपत्र-1 के कॉलम संख्या-2 पर पूरा विवरण भर कर इस प्रपत्र की प्रतिलिपि जिला लोक सम्पर्क अधिकारी एवं विभाग को प्रस्तुत करें।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि कृपया इस अभियान की सफलता के लिए सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को अपने-अपने कार्यालय की कार्य-योजना **प्रपत्र-1** में **दिनांक** 09.04.2010 तक अनिवार्य रूप से तैयार कर नियुक्त किए जाने वाले नोडल अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम व सम्पर्क न0 उपरोक्त दिए गए कार्य-योजना की प्रतिलिपि में भर कर प्रस्तुत करें तथा कृत कार्रवाई की सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी देना सुनिश्चित करें। इस प्रकार सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा इन सभी सांस्कृतिक दलों को इसकी प्रतिलिपि आगे जारी की जाएगी ताकि इन आयोजकों को फील्ड में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। कृपया संलग्न **प्रपत्र-2** पर इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतिपुष्टि (Feed Back) ई-मेल के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

निदेशक एवं विशेष सचिव (ग्रा0वि0),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संलग्नक-प्रपत्र-2
पृष्ठांकन संख्याः उपरोक्त दिनाँक शिमला-9 6 अप्रैल, 2010
प्रतिलिपिः-

1. समस्त उपायुक्त (सिवाय जन-जातीय क्षेत्र) हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
2. समस्त जिला लोक सम्पर्क अधिकारी(सिवाय जन-जातीय क्षेत्र) हिमाचल प्रदेश को इस अनुरोध सहित कि कृपया कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से उपरोक्त प्रपत्र में सूचना प्राप्त कर सम्बन्धित सांस्कृतिक दलों को इसकी प्रतिलिपि देना सुनिश्चित करें ताकि ये दल नियुक्त किए गए अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क स्थापित कर सके।

निदेशक एवं विशेष सचिव (ग्रा0वि0),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश सरकार।

जागरूकता अभियान का ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभाव तथा ग्रामीणों की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन

1. दिनांक.................................. ग्राम पंचायत/स्थान ....

2. विकास खण्ड....................................जिला................................

3. नाम.......................... आयु...

4. महिला/पुरूष (कृपया (✓) का निशान लगाएं)

5. यह कार्यक्रम मुझे *बहुत अच्छा / अच्छा / कम अच्छा / बहुत फायदेमंद / फायदेमंद / कम फायदेमंद / बेकार* लगा।

6. मनरेगा कार्यक्रम के बारे में मुझे आज–

बहुत / कम / बिल्कुल नहीं / पूरी

जानकारी मिली है– (कृपया (✓) का निशान लगाएं)

7. सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के बारे में मुझे आज–

बहुत / कम / बिल्कुल नहीं / पूरी

जानकारी मिली है– (कृपया (✓) का निशान लगाएं)

8. ब्लॉक ऑफिस द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों के बारे में मुझे आज–

बहुत / कम / बिल्कुल नहीं / पूरी

जानकारी मिली है– (कृपया (✓) का निशान लगाएं)

9. मेरा यह सुझाव है कि ऐसा प्रोग्राम हमारी पंचायत में–

हर महीने / हर तीन महीनों में / साल में दो बार / साल में एक बार होना चाहिए।(कृपया (✓) का निशान लगाएं)

10. मैं ग्राम सभा में इसलिए नहीं आता/आती हूँ क्योंकि –(कृपया (✓) का निशान लगाएं)

- *समय की कमी।*
- *ग्राम सभा की सूचना नहीं मिलती।*
- *ग्राम सभा का मतलब नहीं पता।*
- *ग्राम सभा में कोई भी फायदा नहीं मिलता है।*

- *ग्राम सभा में मुझे बोलने नहीं दिया जाता है।*
- *ग्राम सभा में कोई भी जानकारी नहीं दी जाती।*
- *ग्राम सभा में मेरी समस्याओं का कोई हल नहीं निकलता है।*
- ....

11. सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेरा सुझाव यह है कि–(कृपया (✓) का निशान लगाएं)

    - *गन्दगी फैलाने/कूड़ा–कर्कट इधर–उधर फैंकने/खुले में टट्टी–पेशाब करने वालों पर ग्राम पंचायत द्वारा जुर्माना होना चाहिए।*
    - *गन्दगी से होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देनी चाहिए।*
    - *गाँव में सामूहिक कूड़ादान होना चाहिए।*
    - *वार्ड की सभी गलियों–नालियों को पक्का करने के लिए यह शर्त रखी जाए कि सभी घरों में शौचालय बने हों।*
    - ....

12. गाँववासी मनरेगा कार्यक्रम से अधिक फायदा तब ले सकते हैं यदि–

    - ....
    - ....

13. मेरा सुझाव यह है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए–

    ....

नोट– कृपया प्रत्येक पंचायत में केवल 4 प्रपत्र–2 भवरवाए जाएं।